06/03/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी वकील बहस फाईनल करना चाहते है। वक्त दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/04/18 को पेश हो।

17/04/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी वकील बहस फाईनल करना चाहते है। वक्त दिया जाकर पत्रावली फाईनल दिनांक 08/05/18 को पेश हो।

08/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खातापार में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामडु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करे पालना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

10/1110

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, खारापार)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 574 दिनांकः– 08/05/2018

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री लाभुराम पुत्र चेतनराम,
जाति–जाट, निवासी–प्रेमनगर,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. श्री अमराराम पुत्र गजाराम वगैरा 20
जातियान्–जाट
निवासीयान्–प्रेमनगर तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 05/2018

आदेश

मौजा प्रेमनगर पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 637, 638, 639, 689/639 रकबा कमशः 00.04, 00.06, 75.09, 24.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 08/05/2018

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 575-79

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का पनावड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री लाभुराम पुत्र चेतनराम।
4. विप्रार्थी श्री अमराराम पुत्र गजाराम वगैरा 20।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु